राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर

विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड की षष्टम बैठक

(दिनांक 17 जून, 2012)

कार्यवाही विवरण

विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड की षष्टम बैठक का आयोजन दिनांक 17 जून, 2012 को पशु प्रजनन एवं अनुवांशिकी विभाग के कान्फ्रेंस हॉल में माननीय कुलपति प्रो. (डॉ.) कर्नल ए. के. गहलोत की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूचि संलग्नक–1 में दी गयी है। माननीय अध्यक्ष महोदय ने बैठक के प्रारम्भ में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया।

सदन की कार्यवाही विधिवत रूप से चालू करने से पहले माननीय कुलपति महोदय एवं माननीय सदस्यों द्वारा राजूवास न्यूज लेटर (अक्टूबर से दिसम्बर 2011) के अंक का विमोचन भी किया गया एवं प्रतियां सभी सदस्यों को वितरित की गईं। माननीय सदस्यों ने न्यूज लेटर के नये कलेवर पर प्रसन्नता जाहिर की एवं प्रशंसा की।

माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सदस्य सचिव, श्री वाई. के. सिंह ने विधिवतरूप से बैठक में बिन्दुवार कार्यसूची पर विचार विमर्श प्रारंभ किया, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :–

एजेंडा–06/ए **विश्वविद्यालय द्वारा अब तक की गई प्रगति का संक्षिप्त विवरण मौखिक रूप से कुलपति द्वारा सदन में पेश**

विश्वविद्यालय के गठन के पश्चात अब तक की गई प्रगति के बारे में माननीय कुलपति द्वारा सदस्यों को अवगत कराया गया। उन्होंने यह भी अवगत कराया कि वर्तमान वित्तिय वर्ष में रू0 84 करोड़ के कुल बजट के प्रस्ताव इस बैठक में रखे जा रहे हैं। उम्मीद है कि वर्ष के अंत तक यह राशि रू. 100 करोड़ तक पहुंच जायेगी, क्योंकि अभी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् तथा विश्व बैंक की परियोजनाओं की राशि स्वीकृत होनी बाकी है। उन्होनें सदन को यह भी बताया कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में इस विश्वविद्यालय के लिए कुल रू0 333.50 करोड़ के कुल बजट प्रावधान स्वीकृत हुए है, जिसमें 11 नये Items भी होगें। इसी क्रम में उन्होनें यह भी बताया कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत भी अप्रेल में हुई राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति की बैठक में 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत विश्वविद्यालय हेतु कुल 140 करोड़ रू0 सम्मिलित किये गये हैं। इस योजना में वर्तमान वित्तिय वर्ष में ही राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत 10 नई परियोजनायें चालू हो जायेगी। नई एवं पुरानी परियोजनाओं हेतु वर्तमान वित्तिय वर्ष में लगभग रू. 30 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।

उन्होने निम्न नये क्षेत्रों पर विश्वविद्यालय द्वारा इसी वर्ष कार्य प्रारम्भ करने को बहुत उत्साहजनक तथा दीर्घकालीन लाभ प्रदान करने वाला बताया :–

1. पशु विज्ञान अभियात्रिंकी केंद
2. जयपुर में पी.जी.आई. की स्थापना
3. जोधपुर वेटरनरी कॉलेज हेतु आधारभूत संरचना का प्रावधान
4. पारंपरिक पशु चिकित्सा ज्ञान एवं वैकल्पिक पशु चिकित्सा
5. जैव पशु उत्पाद तकनीक केन्द्र
6. पशु चारा संसाधन प्रबन्धन एवं तकनीक केन्द्र
7. दुग्ध एवं चारा परीक्षण की अत्याधुनिक प्रयोगशालायें
8. पशु आपदा प्रबन्धन तकनीक केन्द्र
9. पशु विज्ञानों में अंतरिक्ष आधारित तकनीकों का उपयोग आदि

माननीय कुलपति महोदय ने सभी सदस्यों को यह भी अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में वर्तमान में उपलब्ध फेकल्टी एवं स्टाफ के आधार पर विश्वविद्यालय के लिए बहुत कठिन कार्य होगा कि और अधिक नई परियोजनायें ली जायें। विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार को इस बाबत अवगत करवा दिया गया है, एवं विश्वविद्यालय के प्रस्ताव जिनमें समस्त रिक्त पदों को भरने की अनुमति, 197 नये पदो का सृजन तथा आयोजना मद में स्वीकृत नये Items हेतु 278 पदो का सृजन प्रमुख हैं। वर्तमान में यह सभी प्रस्ताव वित्त विभाग में विचाराधीन हैं। उन्होनें आशा व्यक्त की कि चूंकि इस सम्बन्ध में माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय कृषि एवं पशु पालन मंत्री, मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, पशुपालन एवं प्रमुख शासन सचिव (वित्त) से स्वंय मिलकर इन आवश्यकताओं से अवगत करवाया जा चुका है, अतः इस बाबत राज्य सरकार की स्वीकृति शीघ्र प्राप्त होने की आशा है।

कोई भी कार्य न करें जिससे उनकी पढाई व परीक्षाएं बाधित हों। माननीय सदस्यों द्वारा उन्हें यह भी स्पष्ट कर दिया गया था कि अनुशासनहीनता सहन नहीं की जायेगी एवं राजनीति से प्रेरित बाहरी तत्वों द्वारा पढ़ने वाले विद्यार्थियों के हितों को हानि नहीं पहुंचाने दी जायेगी।

निर्णय–सदन की विधिवत कार्यवाही शुरू होने से पूर्व माननीय कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के विकास का जो ब्योरा दिया गया एवं इस एजेण्डे के रूप में विश्वविद्यालय द्वारा पिछले दो वर्षो की प्रगति के सार को **"उड़ान दो वर्षो की"** के रूप में संकलित कर पेश करने पर प्रशंसा जाहिर की। सदन ने विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किये जाने रहे विकास के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए सभी कार्यों का अनुमोदन किया।

एजेंडा–06/बी **प्रबंध मण्डल की गत बैठक दिनांक 23.03.2012 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन–(पेज सं. 01 से 14)**

निणर्य–सदन द्वारा सर्वसम्मति से कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

एजेंडा–06/सी **गत बैठक की कार्यवाही की पालना रिपोर्ट (Action Taken Report) का अनुमोदन–(पेज सं. 15 से 25)**

निर्णय–सदन द्वारा सर्वसम्मति से कार्यवाही की पालना रिपोर्ट (Action Taken Report) का अनुमोदन किया गया।

एजेंडा–06/डी विश्वविद्यालय द्वारा पारित आदेशों का अनुमोदन–(पृष्ठ संख्या 26 से 352)

निर्णय–सदन ने विश्वविद्यालय द्वारा पारित सभी आदेशों (पृष्ठ संख्या 26 से 352) एवं उनकी पालना का अनुमोदन किया।

एजेंडा–06/ई **Approval of fees schedule of Advocates in Supreme Court, New Delhi for conducting matters of different nature-(पेज सं. 353 से 354)**

निर्णय–सदन ने इसे एजेंडा 6/पी के साथ सलग्न करने का निर्णय किया।

एजेंडा–06/एफ **'राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर 'कर्मचारी कल्याण योजना–2012' के नियम एवं विनियम' का अनुमोदन–(पेज सं. 355 से 366)**

निर्णय–सदन द्वारा सर्वसम्मति से "राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर "कर्मचारी कल्याण योजना–2012" के नियम एवं विनियम" का अनुमोदन किया गया।

एजेंडा–06/जी अन्य कोई एजेंडा माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से

एजेंडा–06/जी–1 **Approval of the Selection Committee for the Promotion of Associate Professor to Professor under Career Advancement Scheme (CAS) (Old Scheme) as per UGC Regulation 2000 notified by F.3-1/2000(PS) dated 04.04.2000–(पेज सं. 367 से 398)**

निर्णय–सदन ने सर्वसम्मति से Selection Committee for the Promotion of Associate Professor to Professor under Career Advancement Scheme (CAS) (Old Scheme) as per UGC Regulation 2000 notified by F.3-1/2000(PS) dated 04.04.2000 का अनुमोदन किया।

एजेंडा–06/एच विश्वविद्यालय के अधिकारियों तथा शिक्षक चिकित्सकों की नियुक्ति हेतु गठित होने वाली चयन समिति में प्रबंध मंडल द्वारा एक सदस्य का मनोनयन–(पेज सं. 399)

निर्णय–कुलपति द्वारा प्रस्तावित 12 व्यक्तियों की सूची में से एक व्यक्ति का प्रबन्ध मण्डल द्वारा मनोनयन करने के प्रस्ताव की सूची गोपनीय होने के कारण बंद लिफाफे में प्रस्तुत की गयी। इस सम्बन्ध में माननीय कुलपति को इनमे से एक व्यक्ति को प्रबन्ध मंडल द्वारा मनोनित चयन समिति के सदस्य के रूप में चयन समिति में शामिल करने हेतु बोर्ड द्वारा अधिकृत किया गया। ऐसा इसलिए किया गया कि चयन समिति की बैठकों की अवधि में यदि इन 12 व्यक्तियों में से कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं है तो माननीय कुलपति अपने स्वःविवेक से इसी सूचि में से अन्य व्यक्ति की उपलब्धता के आधार पर उसे सदन द्वारा मनोनित सदस्य के रूप में चयन समिति में शामिल कर सकेंगे।

एजेंडा–06/आई दिनांक 01.01.2004 एवं इसके बाद नियुक्त होने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु राज्य सरकार द्वारा लागू नवीन पेंशन योजना को विश्वविद्यालय द्वारा यथावत लागू **करने के संबंध में–(पेज सं. 400 से 420)**

निर्णय–सदन ने वित्त विभाग द्वारा इस संबंध में समय समय पर जारी आदेशों एवं परिपत्रों को विश्वविद्यालय द्वारा अंगीकृत करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया।

एजेंडा–06/जे

सेवा निवृत्त होने वाले शिक्षकों के पुनर्नियोजन के संबंध में–(पेज सं. 421 से 424)

निर्णय–सदन ने शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग के पत्र दिनांक 10.01.2011 द्वारा 07 विश्वविद्यालयों (जिनमें यह विश्वविद्यालय शामिल नहीं है) हेतु जारी पत्र में उल्लेखित प्रकिया को सैद्धान्तिक रूप से अपनाने का अनुमोदन इस आशय के साथ किया कि इस सम्बन्ध में कोई भी कार्यवाही करने से पूर्व प्रशासनिक विभाग की अनुमति प्राप्त कर ली जाये, ताकि भविष्य में इस तरह के पुर्ननियोजन में कोई कठिनाई न आये।

एजेंडा–06/के

Approval of Fees Schedule of Advocates in High Court, Jodhpur/Jaipur–(पेज सं. 425 से 428)

निर्णय–सदन ने इसे एजेंडा 6/पी के साथ सलग्न करने का निर्णय किया।

एजेंडा–06/एल

विश्वविद्यालय द्वारा पारित आदेशों का अनुमोदन–(पेज सं.429 से 433)

निर्णय–सदन ने विश्वविद्यालय द्वारा पारित सभी आदेशों (पृष्ठ संख्या 429 से 433) एवं उनकी पालना का अनुमोदन किया।

एजेंडा–06/एम

वित्त समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 11.06.2012 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन–(पेज सं. 434 से 437)

निर्णय–सदन द्वारा वित्त समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 11.06.2012 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

एजेंडा–06/एन

राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर वर्ष 2012–13 के बजट का अनुमोदन–(पेज सं. 438 से 463)

निर्णय–सदन द्वारा सर्व सम्मति से राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर के वर्ष 2012–13 के बजट का अनुमोदन किया गया। सदन ने वित्त नियंत्रक को अधिकृत किया कि यदि दर्शाये गये प्रावधानों में कोई विसंगति हो तो उसे अपने स्तर पर माननीय कुलपति महोदय से अनुमति के पश्चात सुधार लिया जायें। साथ ही सदन ने वित्त नियत्रक को अधिकृत किया कि वे कुलपति महोदय की अनुमति के पश्चात कालातंर में प्राप्त होने वाले बजट को भी इस सदन द्वारा स्वीकृत मान कर तत्सम्बंधी आवश्यक अग्रिम कार्यवाही कर सकेंगे। सदन ने विश्वविद्यालय के बजट के रू. 84 करोड़ तक पहुंचने के लिए कुलपति एवं समस्त, विश्वविद्यालय परिवार को बधाई दी एवं आशा प्रकट की कि वर्ष के अंत तक यह बढकर रू. 100 करोड़ तक पहुंच जायेगा।

एजेंडा–06/ओ

शैक्षणिक परिषद् की तृतीय बैठक दिनांक 11.06.2012 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन–(पेज सं. 464 से 473)

निर्णय–सदन द्वारा सर्व सम्मति से शैक्षणिक परिषद् की कार्यवाही के विवरण का अनुमोदन किया गया।

एजेंडा–06/पी

Approval of Fees Schedule of Advocates-(पेज सं. 474 से 477)

निर्णय–सदन द्वारा सर्वसम्मति से अधिवक्ताओं की प्रस्तावित फीस जो कि पृष्ठ सं. 474 पर दी गई है का अनुमोदन किया गया।

एजेंडा–06/क्यू

महामहिम राज्यपाल महोदया द्वारा जारी आदेश सूचनार्थ–(पेज सं. 478 से 480)

निर्णय–सदन द्वारा महामहिम कुलाधिपति महोदया के आदेश दिनांक 14 जुन, 2012 की अनुपालना में विश्वविद्यालय द्वारा जारी आदेश दिनांक 15 जून 2012 के द्वारा की गई त्वरित अनुपालना की प्रशंसा की गयी। सदन ने एजेंडे में लिपिकीय त्रुटि इंगित की जिसमें कि भूलवश महामहिम "राज्यपाल" शब्द का उपयोग किया गया है जबकि वास्तव में यह आदेश महामहिम ने "राज्यपाल" के रूप में जारी करने के बजाय महामहिम राज्यपाल के पदेन "कुलाधिपति" होने के कारण कुलाधिपति की ओर से जारी किया है, जैसा कि अधिनियम में विहित है।

एजेंडा–06/आर

विश्वविद्यालय के अधीन नोहर (हनुमानगढ़) में स्वीकृत प्रथम कृषि विज्ञान केन्द्र के पदों की राज्य सरकार की स्वीकृति पर विचार

निर्णय–विश्वविद्यालय के अधीन नोहर (हनुमानगढ़) में स्वीकृत प्रथम कृषि विज्ञान केन्द्र के पदों की राज्य सरकार की स्वीकृति पर प्रशंसा व्यक्त की गई एवं कुलसचिव द्वारा उनके सृजन के औपचारिक आदेश जारी किये जाने की आवश्यकता बताई ताकि विश्वविद्यालय उनके भरने की प्रकिया चालू कर सके।

एजेंडा–06/एस

विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 24 (8) (1),(9) व (12) के प्रावधानों को लागू करने के **लिए आवश्यक प्रशासनिक कार्यकलापों हेतु सीमाऐं निर्धारित करना।**

माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सदन के समक्ष पटल पर रखा गया यह एजेंडा इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि–

विश्वविद्यालय अधिनियम में निम्न प्रयोजनों के सुचारू कियान्वयन करने के लिए बोर्ड द्वारा, इसे धारा

12 (1) एवं (2) (च) (झ) एवं (थ) के प्रयोजनार्थ प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, धारा 24 (8) (पप),
(9) व (12) के प्रावधानों को लागू करने के लिए आवश्यक प्रशासनिक कार्यकलापों हेतु सीमाएं
निर्धारित करना आवश्यक है जिससे विश्वविद्यालय पर अनावश्यक वित्तीय भार ना पड़े एवं मार्गदर्शी
नियमों को निर्धारित किया जा सके ताकि इस संबंध में होने वाली किसी भी प्रकार की कठिनाई का
निवारण हो सके। उक्त धाराओं को सुविधा हेतु निम्नानुसार उद्धृत किया जा रहा है :–

धारा 12. बोर्ड की शक्तियां : –(1) इस अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, बोर्ड,
विश्वविद्यालय का मुख्य कार्यपालक निकाय होगा और विश्वविद्यालय की सपंत्तियों और क्रियाकलापों का प्रबंध
और पर्यवेक्षण करेगा और इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित न किये गये विश्वविद्यालय के समस्त प्रशासनिक
कार्यकलापों के लिए उत्तरदायी होगा। (2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड
की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्:–

(च) विश्वविद्यालय की सपंत्तियों को धारण करना, नियंत्रित करना और उनका प्रशासन करना।
(झ) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार विश्वविद्यालय से सबंधित समस्त नीतिगत प्रश्नों को
अवधारित और विनियमित करना।
(थ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना, जो इस अधिनियम या परिनियमों के उपबंधों से असगंत
न हों और जो इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हों।

धारा 24 (8) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा/होगी और उसकी परिलब्धियां और सेवा
के अन्य निबधंन और शर्तें निम्नलिखित होंगी:–

(ii) कुलपति सुसज्जित निःशुल्क अधिकृत निवास का हकदार होगा/होगी; और
(9) कुलपति के अधिकृत आवास का रखरखाव विश्वविद्यालय की निधियों से किया जायेगा।
(12) कुलपति ऐसी दरों पर यात्रा और दैनिक भत्ते का हकदार होगा, जो बोर्ड द्वारा नियत की जाये।

धारा 24 की उपधारा (8) (ii) व (9) के प्रावधानों के अनुसरण हेतु मार्गदर्शी स्पष्टीकरण जिनकी
नियमों के रूप में पालना की जायेगी–

जब तक विश्वविद्यालय का स्वयं का कुलपति निवास नहीं बनता, विश्वविद्यालय ऐसा निवास, जो
कुलपति के पद की गरिमा के अनुरूप उपयुक्त हो, किराये पर ले सकेगा। किराये का निर्धारण
बीकानेर में लागू बीएसआर रेट के अनुसार किया जायेगा। यदि इसमें कोई आधिक्य हो तो बोर्ड की
अनुमति आवश्यक होगी, परंतु, जैसा कि वर्तमान कुलपति के मामले में है, यदि कुलपति का स्वयं का
या पैत्रिक निवास हो और वे वहाँ ही निवास करना चाहें तो ऐसे निवास को ही अधिकृत निवास माना
जायेगा परंतु ऐसे मामले में–

i. विश्वविद्यालय किसी प्रकार के किराये का भुगतान नहीं करेगा,
ii. कुलपति, सरकार के कार्मिकों हेतु निर्धारित दर पर मकान किराया भत्ता ले सकेंगे,
iii. विश्वविद्यालय कुलपति–निवास पर सभी प्रकार की चल (वाहन सहित) व अचल सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध करायेगा,
iv. विश्वविद्यालय कुलपति निवास पर निवास–कार्यालय, गेस्ट एवं विजिटर तथा परिवार के उपयोग हेतु फर्नीचर, आफिस उपकरण, कंप्यूटर, यूपीएस आदि जो भी आवश्यक समझे जायें, उपलब्ध करायेगा, जो कि विश्वविद्यालय की संपत्ति होंगे, एवं कुलपति के सेवा काल के पश्चात वापस हटाए जा सकेंगे।
v. विश्वविद्यालय कुलपति निवास पर पर्याप्त सुरक्षा गार्ड भी तैनात कर सकेगा। इस संबंध में आवश्यकता का आकलन कुलपति स्वयं के द्वारा या कुलसचिव के द्वारा किया जायेगा।
vi. विश्वविद्यालय कुलपति निवास पर निवास–कार्यालय के सुगम संचालन हेतु आवश्यकतानुसार कार्यालयी स्टाफ एवं सहायक कार्मिक उपलब्ध करायेगा। इस संबंध में आवश्यकता का आकलन कुलपति स्वयं के द्वारा या कुलसचिव के द्वारा किया जायेगा।
vii. अधिकृत निवास के टेलीफोन, बिजली, पानी आदि का खर्च विश्वविद्यालय द्वारा स्वयं की निधि (युनिवर्सिटी डेवलपमेंट फंड) से वहन किया जायेगा अर्थात राज्य सरकार के बजट पर इसका कोई बोझ नहीं होगा।
viii. विश्वविद्यालय कोई स्थायी addition/alteration नहीं करवायेगा।
ix. Maintenance का खर्च केवल आकस्मिकताओं तक सीमित रहेगा, एवं जो कि अधिकतम रू. 10,000/– प्रति वर्ष तक हो सकेगा एवं जिसे विश्वविद्यालय द्वारा स्वयं की निधि (युनिवर्सिटी डेवलपमेंट फंड) से वहन किया जायेगा अर्थात राज्य सरकार के बजट पर इसका कोई बोझ नहीं होगा–
    अ. बिजली, पानी, सीवरेज, ड्रेनेज आदि से संबंधित मरम्मत,
    ब. अन्य कोई आकस्मिक मरम्मत
    स. यह कार्य निदेशक (कार्य) यानि भूसंपदा कार्यालय द्वारा संपन्न कराये जा सकेंगे।

धारा 24 की उपधारा (12) के अनुसरण हेतु मार्गदर्शी स्पष्टीकरण जिनकी नियमों के रूप में पालना की जायेगी–

1. कुलपति आधिकारिक यात्रा प्रवास के दौरान यथा संभव हो किसी विश्वविद्यालय, आईसीएआर, राजकीय सर्किट/गेस्ट हाउसों का प्रयोग करेंगे, परंतु परिस्थितिवश यदि उन्हें होटल में ठहरना पड़े तो वे पद की गरिमानुकूल होटल में ठहरने पर बोर्डिंग–लॉजिंग के अधिकतम रू. 5000/– प्रति दिन तक के खर्च के पुनर्भुगतान के हकदार होंगे। इस हेतु उन्हें किसी विश्वविद्यालय, आईसीएआर, राजकीय सर्किट/गेस्ट हाउसों से कमरे की अनुपलब्धता का प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं होगी, परंतु होटल के बोर्डिंग–लॉजिंग के खर्च की रसीद या केश मेमो प्रस्तुत करना होगा।
2. उपरोक्त को छोड़कर, कुलपति आधिकारिक यात्रा प्रवास के दौरान सरकार द्वारा अपने कार्मिकों हेतु निर्धारित दरों के अनुसार ही यात्रा भत्ते के हकदार होंगे।
3. कुलपति आधिकारिक यात्रा प्रवास के दौरान (हवाई यात्रा को छोड़ कर) सहायक के रूप में किसी भी पद के कार्मिक को साथ ले जा सकेंगे जो कि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित दर पर यात्रा भत्ते का हकदार होगा तथा ऐसी यात्रा आधिकारिक यात्रा मानी जायेगी।
4. यदि कुलपति विश्वविद्यालय वाहन से या अन्यथा आधिकारिक यात्रा प्रवास के दौरान सहायक के रूप में अपने किसी भी परिवारजन को साथ ले जाते हैं तो वह परिवारजन विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी यात्रा भत्ते या अन्य किसी प्रकार के भुगतान का हकदार नहीं होगा।

निर्णय–अधिनियम की धारा 12 (1) एवं (2) (च) (झ) एवं (थ) के प्रयोजनार्थ प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, बोर्ड द्वारा उपरोक्त को इस आशय के साथ अनुमोदित किया जाता है कि, पूर्व में किये गये भुगतानों को छोड़ कर, उपरोक्त मार्गदर्शी स्पष्टीकरण, जिनकी नियमों के रूप में पालना की जायेगी, विश्वविद्यालय के गठन के समय से लागू माने जायेंगे।

बैठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करने के बाद सम्पन्न हुई।

कुल सचिव एवं
सदस्य सचिव

संलग्न–1

क्रमांकः–एफ–2(99)/बोम मीटिंग–6/राजूवास/2012/मी.टि.म. 2418 दिनांकः– 27/7/12

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, राज्यपाल राजस्थान एवं कुलाधिपति, राजभवन, जयपुर
2. श्रीमान अतिरिक्त मुख्य सचिव, (वित्त) राजस्थान जयपुर।
3. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, पशुपालन विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव (वित्त) राजस्थान जयपुर।
5. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव (आयोजना) राजस्थान जयपुर।
6. समस्त माननीय सदस्यगण।
7. समस्त अधिष्ठाता/निदेशक/इकाई प्रभारी अधिकारी, राजूवास, बीकानेर।
8. नोडल अधिकारी, युनिवर्सिटी वेबसाइट, राजूवास, बीकानेर।
9. रक्षित पत्रावली

कुल सचिव एवं
सदस्य सचिव

संलग्नक–1

प्रबंध बोर्ड की षष्ठम् बैठक दिनांक **17.06.2012** में उपस्थित सदस्यों की सूची

S.No	Name of Member with Designation	
1.	Prof. A. K. Gahlot, Vice-Chancellor RAJUVAS, Bikaner	In Chair
2.	Sh. Vijay Loyal	Member
3.	Dr. Ravinder Kumar	Member
4.	Dr. S.B.S.Yadav	Member
5.	Sh. Prabhu Ram Poshak	Member
6.	Dr. N.V. Patil, Director, N.R.C.C., Bikaner	Member
7.	Smt. Krishana Solanki	Member
8.	Dr. R.K.Tanwar, Director Clinics, RAJUVAS, Bikaner	Member
9.	Dr. S.N. Maurya	Member
10.	Dr. N.M.Singh, Jt. Director	Nominated Member
11.	Sh. Om Prakash, Addl. Commissioner	Nominated Member
12.	Dr. B.K.Beniwal Dean, CVAS, Bikaner	Invitee
13.	Dr. G.S. Manohar, Dean, P.G.S., RAJUVAS, Bikaner	Invitee
14.	Dr. C.K.Murdia Director, Extension Education, RAJUVAS, Bikaner	Invitee
15.	Dr. R.N. Kachawaha Dean, Student Welfare, RAJUVAS, Bikaner	Invitee
16.	Dr. Rakesh Rao Director Research, RAJUVAS, Bikaner	Invitee
17.	Er. Basant Acharya Director Works (E.O.), RAJUVAS, Bikaner	Invitee
18.	Dr. Anil Srivastava, OSD to VC	Invitee
19.	Dr.Shekhar Bhargava, OSD to VC	
20.	Sh. Y.K.Singh Registrar & Comptroller	Member Secretary